

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Government of Goa, Panaji, within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/04/2015-Cus.VIII]

ARCHANA PANDEY TIWARI, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 जून, 2015

का.आ. 1760 (अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 31.03.2015 को फाइल संख्या 673/05/2015-कस्टम-VIII के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री गिरीश अदावलत मिठल, सुपुत्र श्री गंगाधरन नय्यर निवासी पणाचिंगल हाऊस/ शिव गंगा, नानमिंडा, कालीकट, केरल-673613 को उप कारागार, सादा, मार्मागोवा, गोवा में रोका जाए तथा अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में माल की तस्करी को उत्प्रेरित करने में शामिल होने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक, गोवा सरकार, पणजी के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. 673/05/2015-कस्टम-VIII]

अर्चना पाण्डे तिवारी, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th June, 2015

S.O. 1760(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/05/2015-Cus.VIII, dated 31.03.2015 under the said sub-section directing that Shri Gireesh Adavalath Meethal, S/o Shri Gangadharan Nair, R/o Panachingal House/Shivganga, Nanminda, Calicut, Kerala -673613 be detained and kept in custody in the Sub-Jail, Sada, Marmagoa, Goa with a view to preventing him from indulging in abetting the smuggling of goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Government of Goa, Panaji, within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/05/2015-Cus.VIII]

ARCHANA PANDEY TIWARI, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 जून, 2015

का.आ. 1761(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 31.03.2015 को फाइल संख्या 673/06/2015-कस्टम-VIII के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री इम्तियाज़ हुसैन, सुपुत्र श्री अब्दुलकयूम, निवासी 26, आइशा मंजिल, शजली गली, भटकल, कर्नाटक-581320 को उप कारागार, सादा, मार्मागोवा, गोवा में रोका जाए तथा अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में तस्करी संबंधी गतिविधियों में शामिल होने से रोका जा सके।